उत्तर प्रदेश शासन
राजस्व अनुभाग-14
संख्या-497/एक-14/2020
लखनऊः दिनांक 31 अगस्त, 2020

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 43 की उपधारा(1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल घोषणा करती हैं कि इस अधिसूचना के गजट में प्रकाषित किये जाने के दिनांक से नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट जिला लखीमपुर-खीरी के दो ग्राम, सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रियाओं के अधीन रखे जायेंगे।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम का नाम
1.	लखीमपुर-खीरी	धौरहरा	फिरोजाबाद	बेलागढ़ी
2.	लखीमपुर-खीरी	धौरहरा	फिरोजाबाद	ओझापुरवा

आज्ञा से

(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-497/1-14/2019, तददिनांक।

1- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, महात्मा गांधी मार्ग, इलाहाबाद को अधिसूचना संख्या-497/1-14/2020, दिनांक 31 अगस्त, 2020 की अंग्रेजी एवं हिन्दी प्रति सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को शासकीय गजट साधारण के आगामी अंक में प्रकाशित कराने तथा गजट में प्रकाशित अधिसूचना की 50 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2- आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद, उ0प्र0 अनुभाग-9, लखनऊ का उनके पत्र संख्या-75/9-37/2013, दिनांक 29 जुलाई, 2020 के सन्दर्भ में।
3- आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
4- जिलाधिकारी/अभिलेख अधिकारी, लखीमपुर-खीरी।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजय कुमार दुबे)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

Uttar Pradesh Shasan
Rajaswa Anubhag-14

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article-348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of following English translation of notification no. 497/1-14/2020 Dated 31 August, 2020.

Notification
No 497/1-14-2020
Lucknow, Dated 31 August, 2020

In exercise of the power under sub-section (1) of Section 43 of the Uttar Pradesh Revenue Code, 2006 (Uttar Pradesh Act No.8 of 2012), the Governor is pleased to declare that the two villages of District Lakhimpur-Kheri specified in the Schedule below shall be placed under Survey and Record operations with effect from the date of publication of this notification in Gazette :-

Schedule

S.No.	District	Tehsil	Pargana	Village
1-	Lakhimpur-Kheri	Dhaurahra	Firojabad	Belagarhi
2-	Lakhimpur-Kheri	Dhaurahra	Firojabad	Ojhapurva

By order,

(Renuka Kumar)
Upper Mukhya Sachiv

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।